भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1676

दिनांक 04 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

यमुना जल पाइपलाइन परियोजना पर अद्यतन जानकारी

1676. डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:

श्री मदन राठौड़ः

श्री मिथलेश कुमारः

श्री बृज लालः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यमुना जल पाइपलाइन परियोजना को पुनर्जीवित किया गया है या नहीं;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल 2025 में आयोजित टास्क फोर्स बैठकों में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए किसी परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है;

(घ) क्या यह परियोजना 1994 यमुना जल समझौते के अंतर्गत राजस्थान के पूर्ण हिस्से की आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और विलंब से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ङ): भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से हथिनीकुंड से चूरू, सीकर, झुंझुनू और राजस्थान के अन्य जिलों में यमुना जल के अंतरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए हरियाणा और राजस्थान दोनों सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, प्रस्तावित परियोजना के चरण -1 में हथिनीकुंड में दिल्ली के हिस्से सहित हरियाणा द्वारा पश्चिमी यमुना नहर की पूरी क्षमता (24,000 क्यूसेक) के उपयोग के बाद चूरू, सीकर, झुंझुनू और राजस्थान के अन्य जिलों के लिए पेयजल आपूर्ति और अन्य आवश्यकताओं के लिए जुलाई से अक्टूबर के दौरान 577 एमसीएम तक भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से जल के अंतरण की परिकल्पना की गई है। दोनों राज्यों ने इस उद्देश्य के लिए कार्य दल का गठन किया है। राजस्थान ने डीपीआर तैयार करने के लिए एक परामर्शदाता को नियुक्त किया है।

*****